झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष, श्रीमती शबनम परवीन का दिनांक–06.11.2025 एवं दिनांक–07.11.2025 को सिमडेगा जिला में औचक निरीक्षण तथा समीक्षात्मक बैठक से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा दिनांक–06.11.2025 एवं दिनांक–07.11.2025 को सिमडेगा जिला का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा उक्त जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा– आंगनबाड़ी केन्द्रों, पी0एम0 पोषण, जनवितरण प्रणाली, कुपोषण उपचार केन्द्र आदि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। साथ ही उक्त जिले के सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई।

❖ **स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–06.11.2025**

➢ ***जनवितरण प्रणाली केन्द्र :–***

- पीडीएस दुकान, सरस्वती SHG, अनुज्ञप्ति संख्या 29/2009, छगरिबांधा, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सूचना पट्ट अंकित नहीं पाया गया। ई–पॉस मशीन के सम्बन्ध में पूछने पर डीलर द्वारा मशीन की बैटरी फूलने के वजह से खराब होने की बात बताई गई। डीलर द्वारा मशीन को आपूर्ति कार्यालय में जमा किया गया था। उक्त डीलर के लाभुक से राशन के सम्बन्ध में पूछने पर पूरा राशन मिलने एवं कोई शिकायत नहीं होने की बात कही गई। आयोग की माननीय प्रभारी अध्यक्ष, श्रीमती शबनम परवीन द्वारा डीलर को योजना से सम्बन्धित जानकारी सूचना पट्ट में अंकित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उपस्थित अंचल अधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, कोलेबिरा को सभी राशन दुकान के बाहर योजना से सम्बन्धित जानकारी सूचना पट्ट पर अंकित कराने का निर्देश दिया गया।
(फोटो की प्रति संलग्न)

- आयोग द्वारा पीडीएस दुकान, स्वयं सहायता महिला विकास समिति, अनुज्ञप्ति संख्या 01/2011, बाजारटांड़, फुलवारटांगर, पंचायत आरानी, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सूचना पट्ट अंकित नहीं पाया गया। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष श्रीमती शबनम परवीन द्वारा डीलर को योजना से संबंधित जानकारी सूचना पट्ट पर अंकित करने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

- आयोग द्वारा पीडीएस दुकान, श्री मनोज कुमार, अनुज्ञप्ति संख्या 19/2003, शहरी क्षेत्र सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में डीलर द्वारा माह अक्टूबर, 2025 में शत प्रतिशत राशन वितरण की बात कही गई। बताया गया कि डीलर द्वारा प्रत्येक माह के 08 से 10 तारीख से राशन का वितरण शुरू कर दिया जाता है।
(फोटो की प्रति संलग्न)

➤ *पी0एम0 पोषण :–*

- आयोग द्वारा उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, U Dise code 20210203803, छगरीबन्धा, कोलेबिरा, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कुल 17 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से 13 बच्चे उपस्थित थे। भोजन के सम्बन्ध में पूछने पर बच्चों द्वारा मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने एवं कोई शिकायत नहीं रहने की बात कही गई।

  (फोटो की प्रति संलग्न)

- आयोग द्वारा राजकीयकृत मध्य विद्यालय, वि0 कोड 20210417302, ठाकुरटोली, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पी0एम0 पोषण से सम्बन्धित मेन्यू सूचना पट्ट पर अंकित पाया गया। बच्चों द्वारा मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने एवं कोई शिकायत नहीं होने की बात कही गई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा बच्चों के लिए बने भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई, जो सही पाया गया।

  (फोटो की प्रति संलग्न)

- आयोग द्वारा राजकीयकृत मध्य विद्यालय, U Dise code 20210418203 घोचोटोली, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पी0एम0 पोषण से सम्बन्धित मेन्यू सूचना पट्ट पर अंकित पाया गया। बच्चों से भोजन के संबंध में पूछने पर उनके द्वारा मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने की बात कही गई। यह भी बताया गया कि जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं, उन्हें मौसमी फल दिया जाता है। बच्चों को भोजन से सम्बन्धित कोई शिकायत नहीं है।

  (फोटो की प्रति संलग्न)

- आयोग द्वारा पी एम श्री राजकीयकृत उच्च विद्यालय, उर्दू, U Dise code 20210418701, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जानकारी मिली कि विद्यालय के सभी बच्चे भोजन के लिए अपने–अपने घर से बर्तन ले कर आते हैं। इस सम्बन्ध में पूछने पर विद्यालय प्रभारी द्वारा बताया गया कि बर्तन के लिए विभाग से डिमांड की गई है।

  (फोटो की प्रति संलग्न)

➤ *आंगनबाड़ी केन्द्र :–*

- आंगनबाड़ी केंद्र, कोड संख्या 146, कुंजनगर, सलडेगा –2, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में एक धात्री माता द्वारा बताया गया कि उन्हें PMMVY के किस्त की राशि नहीं मिली है। उक्त लाभुक को आयोग का व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिया गया कि यदि उन्हें राशि प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज करें। एक अन्य धात्री माता द्वारा PMMVY के किस्त की राशि मिलने एवं पोषाहार मिलने की बात कही गई। केंद्र में उपस्थित बच्चों द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रतिदिन अंडा, खिचड़ी एवं हलुआ मिलता है। सेविका द्वारा बच्चों की मांग के अनुसार भोजन दिए जाने की बात कही गई। सेविका द्वारा यह भी बताया गया कि कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र

के माध्यम से कुपोषण उपचार केन्द्र भेजा जाता है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा सेविका को निर्देश दिया गया कि जिन लाभुकों का PMMVY से सम्बन्धित फॉर्म अब तक नहीं भरा गया है, उनका फॉर्म भरने में तेजी लाया जाए। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

- आयोग द्वारा मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, नया कोड 20367060413 पुराना कोड 153, घोचोटोली, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्र में उपस्थित एक बच्ची द्वारा कभी–कभी ही अंडा मिलने की बात कही गई। जानकारी मिली कि दिनांक 20.04.2025 को आंगनबाड़ी सेविका सेवानिवृत्त हो गई थी, उसके बाद से ही बच्चों को अंडा देना बंद कर दिया गया था। प्रभारी सेविका द्वारा भी अंडा नहीं दिया जाता था। वर्तमान में सेविका द्वारा बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा दिया जा रहा है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा सेविका को प्रतिदिन बच्चों के बीच अंडा का वितरण करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित धात्री माताओं एवं गर्भवती महिलाओं द्वारा पोषाहार मिलने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

❖ **स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–07.11.2025**

➢ ***कुपोषण उपचार केन्द्र :–***

- सिमडेगा जिले के सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्र में 10 बच्चों के लिए बेड की व्यवस्था है, जिसमें 3 बच्चे भर्ती पाए गए। केंद्र में भर्ती बच्चों की माताओं द्वारा ईलाज की समुचित व्यवस्था होने, प्रतिदिन भोजन मिलने एवं प्रतिदिन 130 रुपए की राशि मिलने की बात कही गई। केंद्र साफ सुथरा पाया गया। किसी प्रकार की समस्या नहीं होने की बात कही गई। Nutrition Councilor द्वारा बताया गया कि किसी माँ के यदि दो बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा कुपोषित है, तो दोनों बच्चों को केन्द्र में रखा जाता है। ताकि एक बच्चे का ईलाज हो सके एवं दूसरे बच्चे का देखभाल केन्द्र में ही हो सके। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***आंगनबाड़ी केन्द्र :–***

- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र, कोड संख्या 145, ठाकुरटोली, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जानकारी मिली कि पैसों की कमी के कारण बच्चों को सप्ताह में 3 दिन ही अंडा दिया जाता है। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा सेविका को प्रतिदिन बच्चों के बीच अंडा वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- प्रभारी अध्यक्ष द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र, कोड संख्या 209, ढ़ेबर ग्राम, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्र में 20 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से 14 बच्चे उपस्थित पाए गए। बच्चों द्वारा प्रतिदिन अंडा मिलने की बात कही गई। केन्द्र में उपस्थित गर्भवती महिलाओं द्वारा बताया गया कि उनके पहले बच्चे के जन्म के समय PMMVY के किस्त की राशि प्राप्त हुई

थी, लेकिन दूसरी बच्ची जो लड़की है, के जन्म के बाद उन्हें राशि प्राप्त नहीं हुई, जबकि उनके द्वारा फॉर्म भरा गया है। पूछने पर सेविका द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018–19 से अब तक PMMVY से सम्बन्धित राशि नहीं मिली है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा सेविका को गर्भवती महिलाओं का निबंधन से सम्बन्धित कार्य ससमय करने एवं कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

- प्रभारी अध्यक्ष द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र, कोड संख्या 140, कूबी टोली, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्र में कुल 22 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से 13 बच्चे उपस्थित पाए गए। सेविका द्वारा बच्चों को सप्ताह में 3 दिन अंडा देने की बात कही गई। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा सेविका को प्रतिदिन बच्चों के बीच अंडा वितरण करने का निर्देश दिया गया।
(फोटो की प्रति संलग्न)

❖ *समीक्षात्मक बैठक :–*

- दिनांक–07.11.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक परिसदन भवन, सिमडेगा में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे सिमडेगा जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, अंचल अधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक के प्रतिनिधि एवं अन्य कर्मी उपस्थित रहे। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए इन शिकायतों पर 07 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में नेटवर्क की समस्या अधिक है, जिस कारण राशन वितरण में काफी कठिनाई होती है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि किसी राशन कार्ड में माता–पिता का नाम है एवं वे अपने बच्चे का नाम उसी कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, तो रिक्ति के कारण नाम नहीं जुड़ पा रहा है। बल्कि उनका अलग हरा राशन कार्ड बनाना पड़ता है।

❖ **आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा खूँटी जिला में बैठक के दौरान दिये गये प्रमुख निर्देशः–**

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से आच्छादित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली, पी०एम० पोषण, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उक्त योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सिमडेगा जिले के कई आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को सप्ताह में 2 या 3 दिन ही अण्डा दिया जा रहा है। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रतिदिन बच्चों के बीच अण्डा का वितरण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्थलीय निरीक्षण का भी निर्देश दिया गया।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी सेविका द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018–19 से गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित किस्त की राशि नहीं मिली है। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिमडेगा को इस समस्या का निराकरण करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान सिमडेगा जिले के कई विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिये बच्चे अपने–अपने घर से बर्तन लेकर आते हैं। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा के प्रतिनिधि को जिले के सभी विद्यालयों में बर्तन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019 में राशि कम मिली थी, जो 5000/– रू० प्रति विद्यालय के हिसाब से था। उनके द्वारा बताया गया कि वैसे विद्यालय जहाँ बर्तन की कमी है, की सूची बना कर उपायुक्त, सिमडेगा को उपलब्ध कराते हुए उन विद्यालयों में बर्तन उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जानकारी मिली कि जिले में निगरानी समिति तो गठित है, किन्तु क्रियाशील नहीं है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों को इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने एवं समय–समय पर निगरानी समिति की बैठक कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित मामलों का निराकरण करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी नहीं रहती है।

ऐसे में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रखण्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर उन्हें जागरूक करें एवं योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष का लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाएँ। पंचायत स्तर पर निगरानी समिति के अध्यक्ष मुखिया होते हैं। उनके साथ बैठक कर उन्हें सम्बन्धित योजनाओं से अवगत कराएँ एवं उनसे सुझाव भी मांगे।

- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सम्बन्धित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनवितरण प्रणाली केन्द्रों, विद्यालयों में दिये जाने वाले पी0एम0 पोषण एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में योजना से सम्बन्धित जानकारी सूचना पट्ट पर अंकित करवाने के साथ–साथ उस सूचना पट्ट पर आयोग का वाट्सएप्प नंबर भी अंकित करवाना सुनिश्चित करें, ताकि लाभुकों को उनके अधिकारों की जानकारी हो सके एवं किसी प्रकार की शिकायत होने पर वे शिकायत भी दर्ज करा सकें। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित सभी पदाधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने एवं लाभुकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि प्रायः यह पाया जाता है कि राशन डीलर द्वारा लाभुकों को ई–पॉस मशीन से निकलने वाला पर्ची नहीं दिया जाता है, ऐसे में लाभुकों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि उन्हें कितना राशन मिलना है। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि लाभुकों को पर्ची मिल सके।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा गया कि नया राशन कार्ड बनाने अथवा राशन कार्ड में नाम जोड़ने सम्बन्धी शिकायतें जो आयोग के माध्यम से उन्हें भेजे जाते हैं, इन मामलों में यदि रिक्ति नहीं होने के कारण लाभुक का राशन कार्ड नहीं बन पाता है अथवा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाता है, तो इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन भी आयोग को भेजें, ताकि शिकायतकर्ता को इससे अवगत कराते हुए मामले को निष्पादित किया जा सके।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा गया कि वैसे लाभुक जिनकी मृत्यु हो गई हो अथवा अयोग्य कार्डधारियों की पहचान कर उनका राशन कार्ड डिलिट कर योग्य लाभुकों का राशन कार्ड बनाना सुनिश्चित करें।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सिमडेगा जिले के सम्बन्धित अधिकारियों से अपने जिले के सभी प्रखण्डों में झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के जिला स्तर पर आवंटन की स्थिति, पंचायत स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं व्यय के

विवरण से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि राज्य के प्रत्येक पंचायत को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि आवंटित की जाती है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष के अन्तर्गत वैसे व्यक्ति जो गरीब एवं असहाय हैं, स्वयं खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर सकते, जिनके सामने भोजन का संकट हो अथवा राशन कार्ड की अहर्ता रखते हुए भी उनके पास राशन कार्ड नहीं है एवं राशन नहीं मिलने के कारण उनके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना न हो जाए, इस हेतु झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है। उक्त कोष के तहत् लाभुक को बाजार दर पर 10 कि0ग्रा0 खाद्यान्न खरीद कर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

- प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड स्तर पर राशि के आवंटन की कमी होने अथवा राशि समाप्त होने पर इसकी सूचना जिले के अधिकारियों को दी जाए। यह राशि कभी खत्म नहीं होने वाली राशि है। प्रत्येक पंचायत में 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को अपने स्तर से समीक्षा करने का निर्देश दिया गया एवं झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित प्रखण्डवार विवरणी की मांग की गई।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिमडेगा को निर्देश दिया गया कि लोगों को अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करने हेतु प्रेरित करें, ताकि शिकायतों का निपटारा जिला स्तर पर ही हो सके।

इसके साथ सिमडेगा जिला भ्रमण समाप्त हुआ।

Sp
14.11.25
(शबनम परवीन)
सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

जिला–सिमडेगा

1. पीडीएस दुकान, सरस्वती SHG, अनुज्ञप्ति संख्या 29/2009, छगरिबांधा, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण।

2. पीडीएस दुकान, स्वयं सहायता महिला विकास समिति, अनुज्ञप्ति संख्या 01/2011, बाजारटांड़, फुलवारटांगर, पंचायत आरानी, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण।

3. पीडीएस दुकान, श्री मनोज कुमार, अनुज्ञप्ति संख्या 19/2003, शहरी क्षेत्र सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण।

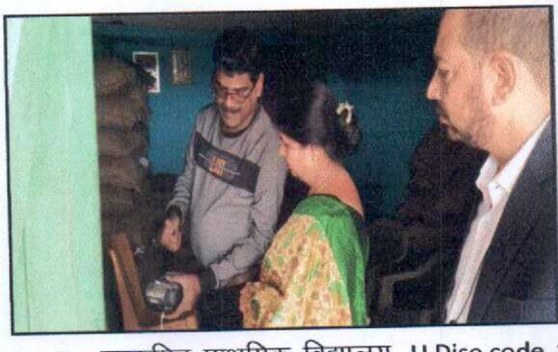
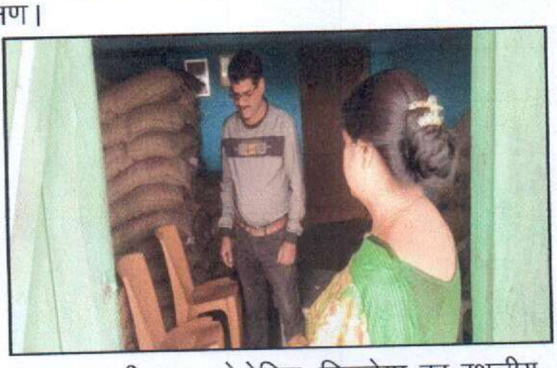

4. उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, U Dise code 20210203803, छगरीबन्धा, कोलेबिरा, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण।

5. राजकीयकृत मध्य विद्यालय, वि0 कोड 20210417302, ठाकुरटोली, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण।

6. राजकीयकृत मध्य विद्यालय, U Dise code 20210418203 घोचोटोली, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण।

7. पी एम श्री राजकीयकृत उच्च विद्यालय, उर्दू, खैरनटोली, U Dise code 20210418701, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण।

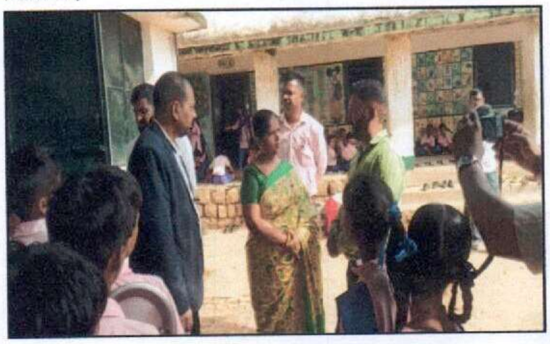

8. आंगनबाड़ी केंद्र, कोड संख्या 146, कुंजनगर, सलडेगा –2, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण।

9. मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, नया कोड 20367060413 पुराना कोड 153, घोचोटोली, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण।

10. सिमडेगा जिले के सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केंद्र का स्थलीय निरीक्षण।

11. आंगनबाड़ी केंद्र, कोड संख्या 145, ठाकुरटोली, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण।

12. आंगनबाड़ी केंद्र, कोड संख्या 209, ढेबर ग्राम, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण।

13. आंगनबाड़ी केंद्र, कोड संख्या 140, कूबी टोली, सिमडेगा का स्थलीय निरीक्षण।

14. परिसदन भवन, सिमडेगा में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।